Helpline 1064 94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **जयपुर में पंचायत समिति, सांभर का कनिष्ठ तकनीकी सहायक 20 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *21 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा आज शुक्रवार को सांभर, जयपुर में कार्यवाही करते हुये नाहर सिंह कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कार्यालय पंचायत समिति, सांभर, जिला जयपुर को परिवादी से 20 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पैण्ड़िग बिलों का भुगतान करने की एवज में पीर मोहम्मद, सरपंच ग्राम पंचायत नरैना, विश्वनाथ पारीक, ग्राम सचिव ग्राम पंचायत नरैना, नाहर सिंह कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं गोरधन ठेकेदार द्वारा 2 लाख 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर नगर तृतीय के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमाशुं कुलदीप** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये नाहर सिंह पुत्र श्री रामासिंह निवासी पीएचसी मुगसका के पास, महाराजा सूरजमल कॉलोनी, अलवर हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कार्यालय पंचायत समिति, सांभर, जिला जयपुर को परिवादी से 20 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गये, जिनकी तलाश की जा रही है।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।